<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

राजस्व अपील संख्या 62/2020

मृगेन्द्रसिंह भाटी बनाम तहसीलदार जोधपुर वगैरा।</td></tr>
<tr><td>16.12.2020</td><td>पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट रोशनलाल विश्नोई उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत आदेश दिनांक 01.12.2020 जो तहसीलदार, जोधपुर द्वारा खसरा संख्या 4/36 से 4/47 ग्राम भींचरली व खसरा संख्या 432/8 ग्राम जोधपुर के माप व सीमाकंन का आदेश पारित किया है, के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी व उसके परिवार की सहखातेदारी की कृषि भूमि ग्राम भींचरली के खसरा संख्या 4/36 से 4/47 आई हुई है जिसका सीमाकंन पूर्व में भू–प्रबन्ध विभाग के आदेश दिनांक 14.05.2010 व तहसीलदार जोधपुर के आदेश दिनांक 18.05.2010 की पालना में दिनांक 25.05.2010 को किया जा चुका है तथा मौका फर्द तैयार होने के कारण दुबारा इन्हीं खसरो के सम्बन्ध में माप व सीमाकंन का आदेश नही दिया जा सकता है तथा अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के दौरान् बताया गया कि उनके द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारी व तहसीलदार के समक्ष आपत्तियाँ प्रस्तुत की थी लेकिन अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आलौच्य आदेश पारित कर दिया तथा खातेदार को अवसर दिये बिना माप व सीमाकंन नही किया जा सकता है। अंत में निवेदन किया गया कि अपीलार्थी की अपील स्वीार फरमाई जाकर आलौच्य आदेश को निरस्त फरमाया जावें।

पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात् का आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी खसरा संख्या 4/36 से 4/47 का खातेदार, काश्तकार है। पूर्व माप व सीमाकंन की फर्द दिनांक 25.05.2010 पत्रावली के साथ संलग्न है तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है इसलिए अपीलार्थी की अपील ग्रहणार्थ स्तर पर ही स्वीकार की जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.12.2020 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार दोनो पक्षो को सुनवाई का अवसर देकर विधि अनुसार आदेश पारित करे। तब तक आदेश दिनांक 01.12.2020 की पालना व प्रभाव को स्थगित रखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:15:23 IST
Reason: SelfAttested</td></tr>
</table>